रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 559] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 1971/कार्तिक 20, 1893
No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 1971 KARTIKA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November 1971

S.O. 5147.—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Doctor Nurul Hasan,
31-A, Badar Bagh,
Aligarh City (U.P.)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri Jogendra Singh.

PLACE: Vidhan Bhawan, Lucknow.
DATED: 6th November, 1971.

(Sd.) H. C. AGARWALA,
Returning Officer."

[No. F. 13(3)/71-Leg. II.]
N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1971

का० आ० 5147.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

उत्तरप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम II के उप-नियम (i) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, घोषित करता हूं कि श्री जोगेन्द्र सिंह के पद-त्याग से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए —

डा० नूरुल हसन,
31-ए, बदर बाग,
अलीगढ़ शहर. (उत्तर प्रदेश)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान: विधान भवन, लखनऊ.
तारीख : 6 नवम्बर, 1971

(ह०) एम० सी० अग्रवाल,
रिटर्निंग आफिसर ।

[सं० फा० 13 (3)/71-विधायी-II]

एन० डी० पी० तिम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971